# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम बन्नी वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 29/2020

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 23/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी नोटिस की एक प्रति मय रजि० डाक रसीद पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली [illegible] हेतु तारीख 30/9/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ | |
| | 30/9/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादीगण अनुप. प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगाई गई तथा जवाब हेतु कहा गया लेकिन उप. नहीं। अतः प्रतिवादी नं 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 04/10/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ | |
| | 04/10/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी | |

# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 29/2020

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | उप0। पत्रावली आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस को श्रवण करने पर पाया कि प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। <br><br> निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। <br><br> पत्रावली [illegible] दर्ज होकर [illegible] से [illegible] तथा वाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। <br><br> प्रखण्ड अधिकारी <br> जमवारामगढ़ |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| सल नं0 | दायर दिनांक | फैसला दिनांक |
|---|---|---|
| 9 / 2020 | 17 / 03 / 2020 | 04 / 10 / 2024 |

महादेव पुत्र स्व0 कुशलाराम जाति मीणा आयु 46 साल निवासी बालोता की ढाणी ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

बदी पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा आयु 40 साल निवासी बालोता की ढाणी, ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
रामफूल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा आयु 35 साल निवासी बालोता की ढाणी, ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी।

**दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की कयशुदा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि खसरा नम्बर 249 रकबा 4 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0506है0 ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त आराजी लिखा गया है। उक्त वर्णित वादग्रस्त ग्राम सायपुरा में स्थित भूमि को वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर मौके पर काबिज काश्तकार है, जो अपनी खातेदारों एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर साधिकार काबिज काश्त है। वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। वादी वादग्रस्त आराजी पर रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से खुद काश्त करता है तथा वादी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा करने, उपयोग व उपभोग कर शांति पूर्ण काश्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। उक्त वर्णित वादी की वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना व सरोकार नही है, लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर लठ के जोर से वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके वादी के द्वारा भूमि वादग्रस्त के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने में बाधा दखल उत्पन्न करते है तथा मौके पर वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण दखल, बांधा उत्पन्न करते है जिसका कि प्रतिवादीगण को कतई ही अधिकार नही है। वादी प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है कि वे वादी के हक अधिकार कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नही करें व नाजायज अतिकमण नही करें, वादग्रस्त भूमि के खातेदार एवं स्वामी वादी की भूमि में वादी के कब्जे काश्त, कृषि कार्य व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार बाधा, दखल, मुजाहमत नही करें एवं वादी की भूमि में अवैध प्रवेश नही करें तथा वादी को अपने स्वयं की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का छप्परपोश या तामिरात का निर्माण करने से ना रोके तथा उक्त समस्त कार्य प्रतिवादीगण अपने परिवारजन भाई बन्धु कुटुम्बियों, प्रतिनिधि, नौकर व अन्य आदि से भी नही करावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 30.09.2024 तक प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादीगणो को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई।

वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ में उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 4 बिस्वा नवीन खसरा नम्बअर 249 रकबा 0.0506है0 भूमि पर वादी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल, बांधा व्यवधान नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें एवं वादी को बेदखल नही करे एवं उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा ना ही अपने भाई–बधुओं, एजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, परिवारजन व अन्य से भी नही करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर